

2- विभाग द्वारा प्रस्तावित (वर्ष 2017-18) की प्रत्येक योजना के सम्बन्ध में सूचना

आउटकम बजट 2017-18 का प्रारूप

विभाग का नाम :- महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड

(रु० लाख में)

योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले 2017-18		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम	समय सीमा
		राजस्व	पूँजीगत				
अनुदान संख्या: 15							
0101- आई०सी०डी०एस० योजना में मेडिसिन किट की आपूर्ति आदि विभिन्न योजनाओं का संचालन (90 प्रतिशत के०सहा)	भारत सरकार के मानकानुसार प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्रों पर एक प्री-स्कूल किट्स व एक मेडिसिन किट्स तथा दो साडी एवं एक बैज की आपूर्ति हेतु।	900.00	0.00	14947 आंगनबाड़ी तथा 5120 मिनी केन्द्रों पर 20067 मेडिसिन किट 20067 प्री-स्कूल किट तथा 20067 आंगनबाड़ी एवं मिनी कर्मियों हेतु पोशाक तथा बैज की व्यवस्था होगी।	31 मार्च, 2018	आंगनबाड़ी तथा मिनी केन्द्रों पर 6.76 लाख बच्चे प्री-स्कूल किट का लाभ एवं मेडिसिन किट से सामान्य रोगों की दवाये प्राप्त करेंगे। यूनिफार्म के रूप में 35014 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/मिनी कार्यकर्ता साडी/सूट प्राप्त करेंगी। उक्त वेशभूषा से उन्हें विभागीय पहचान होने पर गौरवान्वित महसूस करेंगी।	31 मार्च, 2018
0102- समन्वित बाल विकास योजना (90 प्रतिशत के०सहा)	103 बाल विकास परियोजनाओं का अधिष्ठान व्यय।	31202.92	0.00	103 बाल विकास परियोजना कार्यालयों में 1175 कर्मिकों हेतु प्रशासकीय अधिष्ठान व्यय एवं 35014 आंगनबाड़ी कर्मिकों के मानदेय अधिष्ठान पर व्यय।	31 मार्च, 2018	103 बाल विकास परियोजनाओं में विभागीय योजनाओं के सृष्टीकरण, राज्य की महिलाओं को रोजगार की प्राप्ति एवं 9.51 लाख आ०बा० केन्द्रों के लाभार्थी आई०सी०डी०एस० की सेवाओं से लाभान्वित होंगे।	31 मार्च, 2018
0103- निदेशालय, आई०सी०डी०एस० की स्थापना (90 प्रतिशत के०सहा)	निदेशालय, आई०सी०डी०एस० का अधिष्ठान व्यय।	68.24	0.00	निदेशालय स्तर पर 10 कर्मिकों हेतु प्रशासकीय अधिष्ठान व्यय एवं निदेशालय स्तर पर समस्त योजनाओं का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन।	31 मार्च, 2018	महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास की सेवाओं को सुदृढ़ एवं योजनाओं का जनसामान्य तक पहुंचाने हेतु क्रियान्वयन।	31 मार्च, 2018
0104- समन्वित बाल विकास योजना के लिये जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था (90 प्रतिशत के०सहा)	13 जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालयों का अधिष्ठान।	356.22	0.00	13 जनपदों के 75 कर्मिकों हेतु प्रशासकीय अधिष्ठान व्यय एवं जनपद स्तर पर समस्त योजनाओं का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन।	31 मार्च, 2018	महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास की सेवाओं को सुदृढ़ एवं 13 जनपदों के स्तर पर क्रियान्वयन।	31 मार्च, 2018
0107- किशोरी शक्ति योजना (90 प्रतिशत के०सहा)	11-18 वर्ष की स्कूल जाने वाली तथा न जाने वाली किशोरियों के जीवन में सुधार लाने तथा उन्हें औपचारिक शिक्षा प्रदान करना।	77.00	0.00	09 जनपदों की 70 बाल विकास परियोजनाओं में 1.75 लाख किशोरियों को एनिमिया से बचाव हेतु स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आई०एफ०ए० की गोलियां उपलब्ध करवाना, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा देने के साथ ही आत्मनिर्भरता हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।	31 मार्च, 2018	70 बाल विकास परियोजनाओं की 1.75 लाख किशोरियां व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्मनिर्भर एवं सशक्त होंगी साथ ही स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी जानकारी प्राप्त होने पर स्वस्थ होंगी।	31 मार्च, 2018

योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले 2017-18		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम	समय सीमा
0108- आंगनवाडी कार्यकर्ती/सहायिकाओं आदि को प्रशिक्षण के दौरान राशन आदि की व्यवस्था (90 प्रतिशत के0सहा)	आंगनवाडी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं तथा मिनी कार्यकर्त्रियों की क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण का आयोजन।	350.00	0.00	1085 आंगनवाडी कार्यकर्त्रियों को कार्य प्रशिक्षण, 1680 कार्यकर्त्रियों को रिफ्रेशर प्रशिक्षण, 1400 आंगनवाडी सहायिकाओं को ओरियंटेशन प्रशिक्षण, 1600 सहायिकाओं का रिफ्रेशर प्रशिक्षण, 200 मुख्य सेविकाओं को रिफ्रेशर प्रशिक्षण तथा 960 लिंग कार्यकतियों को इण्डक्शन प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।	31 मार्च, 2018	प्रशिक्षण के फलस्वरूप लगभग 6925 आंगनवाडी कार्मिकों में विभाग की योजनाओं का ज्ञान प्राप्त करवा कर आंगनवाडी केन्द्रों का सुदृढ़ संचालन एवं विभागीय योजनाओं/कार्यों में गुणात्मक सुधार आयेगा।	31 मार्च, 2018
0110-अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (90 प्रतिशत के0सहा)	भारत सरकार के निर्देशानुसार आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन।	189.00	0.00	योजनान्तर्गत 119 कार्यालयों के विधुत, लेखन सामग्रीए कम्प्यूटरीकरण, एम0पी0आर0 प्रपत्रों, पंजिकाओं का मुद्रण तथा डाटा एन्ट्री हेतु रखे गये अंशकालिक कार्मिकों के पारश्रमिक का भुगतान।	31 मार्च, 2018	119 कार्यालयों का सुचारु रूप से संचालन एवं कम्प्यूटरीकरण आदि से विभागीय योजनाओं में सूचना सेवा प्रबन्धन सुचारु होगा एवं बेरोजगारों को अंशकालिक रोजगार की प्राप्ति होगी।	31 मार्च, 2018
0114-सूचना, शिक्षा तथा संचार (90 प्रतिशत के0सहा)	सूचना, शिक्षा एवं सम्पेषण की गतिविधियों द्वारा समुदाय में आई0सी0डी0एस0 की सेवाओं की मांग बढ़ाना।	155.00	0.00	119 कार्यालयों में टेलीफोन व्यवस्था एवं योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु विज्ञापना, प्रकाशन आदि के माध्यम से लोक जागरूकता लाना।	31 मार्च, 2018	119 विभागीय कार्यालयों एवं 19649 आंगनवाडी केन्द्रों के माध्यम से योजनाओं का प्रचार-प्रसार होने के फलस्वरूप आम नागरिक तक योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा।	31 मार्च, 2018
0124-आई.सी.डी.एस. परियोजनाएं/ कार्यालय / आंगवाडी केन्द्रों पर अवसंरचना सुविधाएं (90 प्रतिशत के0सहा)	नई परियोजनाओ तथा नए आंगनवाडी केन्द्रों पर अनावर्तक व्यय हेतु।	300.00	0.00	2989 आंगनवाडी केन्द्रों एवं 1024 मिनी आं0बा0 केन्द्रों में आधारभूत सामग्री-दरी, बर्तन, स्लेट, खड़िया, अक्षर ज्ञान चार्ट आदि अनावर्तक रूप में व्यय।	31 मार्च, 2018	2989 आंगनवाडी केन्द्रों एवं 1024 मिनी आं0बा0 केन्द्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर लक्षित लाभार्थियों को योजना का लाभ होगा।	31 मार्च, 2018
0125- सबला-किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु योजना (90 प्रतिशत के0सहा)	जीवन शिक्षा, स्वास्थ्य पोषक जानकारी देने, जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से योजना संचालित।	1600.00	0.00	04 जनपदों के 1.20 लाख किशोरियों को आत्मनिर्भरता हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा तथा 95000 किशोरियों को अनुपूरक पोषाहार प्राप्त होगा।	31 मार्च, 2018	1.20 लाख किशोरियों के जीवन में सुधार लाने एवं आत्म निर्भर बनने के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करेगी तथा 95000 किशोरियों को अनुपूरक पोषाहार प्राप्त करने से स्वास्थ्य में वृद्धि आयेगी।	31 मार्च, 2018
0126-मातृत्व लाभ योजना (90 प्रतिशत के0स0)	गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को टीकाकरण, आईएफए टेबलेट सेवन, प्रसवपूर्व एवं प्रसवोत्तर जाँच, स्तनपान, बच्चों का टीकाकरण आदि मापदण्डों की पूर्ति कर समर्थ बनाने हेतु योजना संचालित है।	718.00	0.00	94248 गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को टीकाकरण, आईएफए टेबलेट सेवन, प्रसवपूर्व एवं प्रसवोत्तर जाँच, स्तनपान, बच्चों का टीकाकरण आदि मापदण्डों की पूर्ति हेतु प्रति महिला रु0 5000/- की राशि तीन किशतों में प्रदान की जायेगी, साथ ही योजनान्तर्गत तैनात कार्मिकों के अधिष्ठान पर व्यय।	31 मार्च, 2018	94248 गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य में सुधार आयेगा एवं योजनान्तर्गत तैनात कार्मिकों को रोजगार की प्राप्ति होगी।	31 मार्च, 2018

योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले 2017-18		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम	समय सीमा
0127- महिला सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय मिशन (90 प्रतिशत के0सहा)	महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करते हुये उनका कौशल विकास, रोजगारोपार्जनोमुख, प्रशिक्षण इत्यादि के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन देना।	0.01	0.00	• महिलाओं के लिये जागरूकता शिविर, नारी के चौपाल का आयोजन करना। • महिलाओं/किशोरियों को सरकारी कार्यक्रमों/योजनाओं/सेवाओं एवं महिलाओं से सम्बन्धित कानुनी विषयों आदि पर जानकारी उपलब्ध कराना। • विभिन्न सरकारी/विभागीय योजनाओं के साथ समन्वयन स्थापित करना। • महिलाओं एवं किशोरियों को स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध कराना।	31 मार्च, 2018	• महिलाएं आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनेंगी। • महिलाओं में कानून एवं अधिकारों के बारे में जागरूकता आयेगी। • बालिकाओं के घटते लिंगानुपात में सुधार आयेगा। • विभिन्न सरकारी योजनाओं के साथ समन्वयन स्थापित होगा। • HBD जनपदों में महिलाएं/ किशोरियों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार।	31 मार्च, 2018
0128-परिवीक्षा सेवा मुख्यालय (90 प्रतिशत के0स0)	कार्यक्रम, प्रबन्धन तथा संस्थागत सुधारों मानदण्डों में परिवर्तनों श्रृंखला के माध्यम से आई0सी0डी0एस0 को सुदृढ एवं पुनर्गठित करना।	556.45	0.00	13 जनपद कार्यालयों, 105 बाल विकास परियोजनाओं एवं आई0सी0डी0एस0 मिशन के संचालनार्थ।	31 मार्च, 2018	13 जनपद कार्यालयों, 105 बाल विकास परियोजनाओं एवं आई0सी0डी0एस0 मिशन के द्वारा योजनाओं का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन होगा।	31 मार्च, 2018
0129-बहुदेशीय पोषण कार्यक्रम (90 प्रतिशत के0स0)	मातृ एवं शिशु कुपोषण को रोकने हेतु बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम का संचालन किया जायेगा एवं बहुक्षेत्रीय कार्यक्रमों में समन्वय के माध्यम से समस्त स्तरों पर मूलभूत मातृ, शिशु स्वास्थ्य तथा पोषण सेवाओं की उपलब्धता एवं लाभार्थियों तक उनकी पहुँच सुनिश्चित होगी।	0.01	0.00	टोकन मनी के रूप में धनराशि प्रस्तावित की जा रही है।	31 मार्च, 2018	टोकन मनी के रूप में धनराशि प्रस्तावित की जा रही है।	31 मार्च, 2018
0130-उज्वला योजना (90 प्रतिशत के0स0)	व्यापारिक यौन शोषण के लिए तरकरी से पीड़ित महिलाओं का बचाव, एवं अनैतिक व्यापार से जुडी महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने एवं उनको आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से योजना संचालित है।	10.00	0.00	अनैतिक व्यापार से जुडी महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने एवं उनको आश्रय प्रदान किया जाना एवं उनको समाज में सम्मान दिलवाना।	31 मार्च, 2018	अनैतिक व्यापार से जुडी महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़कर सुरक्षा, आश्रय के साथ ही विषम परिस्थितियों से मुक्ति मिलेगी।	31 मार्च, 2018
031-आई0सी0डी0एस0 प्रणाली को सुदृढ बनाने और पोषण सुधार परियोजना (ISSNIP) (90 प्रतिशत के0स0)	आई0सी0डी0एस0 द्वारा स्तनपान कराने वाली माताओं/महिलाओं को स्तनपान के लाभ की जानकारी देने एवं स्तनपान के सम्बन्ध में क्षमता निर्माण प्रशिक्षण तथा स्तनपान के सम्बन्ध में उत्पन्न समस्याओं को हल करने के लिए सामुदायिक स्तर पर एक स्टॉप रिसोर्स सेन्टर की स्थापना करना है।	5.00	0.00	स्तनपान कराने वाली माताओं/ महिलाओं को स्तनपान के लाभ की जानकारी देकर स्तनपान के सम्बन्ध में उत्पन्न समस्याओं को हल करने के लिए स्टॉप रिसोर्स सेन्टर की स्थापना की जायेगी।	31 मार्च, 2018	जन्म से 06 माह तक के बच्चों को एकनिस्त स्तनपान कराने से बच्चों का विभिन्न बीमारियों से बचाव होगा। साथ ही बच्चों/माँ का उत्तम स्वास्थ्य एवं कुपोषण से बचाव होगा।	31 मार्च, 2018

योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले 2017-18		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम	समय सीमा
0132-स्वधार गृह योजना (90 % के0स0)	बिना किसी सामाजिक व आर्थिक समर्थन के कठिन परिस्थितियों में जीवन-यापन कर रही उपेक्षित महिलाओं/लड़कियों के लिए आश्रय, खाद्य, कपड़ा व देखभाल जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना है।	117.20	0.00	कठिन परिस्थितियों में जीवन-यापन कर रही उपेक्षित महिलाओं/लड़कियों के लिए आश्रय, खाद्य, कपड़ा व देखभाल जैसी बुनियादी जरूरतों को प्राप्त करवाना।	31 मार्च, 2018	कठिन परिस्थितियों में जीवन-यापन कर रही लगभग 500 उपेक्षित महिलाओं/लड़कियों की बुनियादी जरूरतों को पूर्ण कर उनके जीवनस्तर में सुधार एवं स्वच्छ/स्वस्थ महिला समाज की स्थापना होगी।	31 मार्च, 2018
0101-बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि विभिन्न योजनाओं का संचालन (100 प्रतिशत के0सहा)	<ul style="list-style-type: none"> लैंगिंग भेद-भाव के आधार पर शिशु जन्म को चयनित करने का समापन। बालिका की उत्तरजीविता और संरक्षण सुनिश्चित करना। बालिका की शिक्षा सुनिश्चित करना। अपराध से पीड़ित महिलाओं को सहयोग हेतु 24X7 राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन न0 181 (टोल फ्री) Telecom Service प्रदान करना। वन स्टॉप सेंटर (OSC) एकल खिडकी प्रणाली (Single window system) के समान कार्य करेगा, जहां दुर्व्यवहार/अपराध से पीड़ित महिलाओं को अविलम्ब आवश्यक सेवाएं, सहायता, सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान कर उनका पुनर्वास किये जाने में सहायक होगा। निजी एवं सार्वजनिक स्थलों में हिंसा/अपराध से पीड़ित महिलाओं को एक ही परिसर के अन्तर्गत एकीकृत सहायता प्रदान करना। 	300.00	0.00	<ul style="list-style-type: none"> जागरूकता शिविर/Advocacy द्वारा बाल लिंगानुपात को रोकना एवं उसमें वृद्धि करना। 583 गुडडी-गुड्डा बोर्ड का प्रदर्शन। क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन। बालिकाओं की शिक्षा स्तर में सुधार हेतु वातावरण का निर्माण। विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों में IEC डंजमतपंसे द्वारा लोगों को जागरूक करना। महिला हेल्पलाईन न0 181 पर Call कर महिलाएं आपातकालीन एवं गैर आपातकालीन स्थिति में कानूनी, चिकित्सीय, मनोवैज्ञानिक परामर्श एवं चिकित्सालय/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण /संरक्षण अधिकारी/ One Stop Centre द्वारा सुविधा प्रदान करना। WHL-181 एवं OSC योजनान्तर्गत वर्तमान तक 528 केस पंजीकृत है। 	31 मार्च, 2018	<ul style="list-style-type: none"> लिंगानुपात में सुधार। जैण्डर अभिनत लिंग चयनित समापन का निवारण। बालिकाओं की उत्तरजीविता और संरक्षण सुनिश्चित होगा। बालिकाओं की शिक्षा एवं पोषण स्तर पर सुधार। महिलाओं को आपातकालीन एवं गैर आपातकालीन स्थिति में कानूनी, चिकित्सीय, मनोवैज्ञानिक परामर्श आदि सेवायें प्राप्त होंगी। 	31 मार्च, 2018
4235-01-08 आंगनबाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण/ उच्चिकरण/अनुरक्षण (90 प्रतिशत के0सहा0)	आंगनबाड़ी केन्द्रों की सेवायें बेहतर ढंग से लाभार्थियों को प्रदान करने में सुविधा होगी, केन्द्र बच्चों के लिए आकर्षक बनेंगे एवं भवन किराये की बचत होगी।	0.00	2210.00	1100 आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण किया जायेगा एवं विभागीय 500 आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों का अनुरक्षण कराया जायेगा।	31 मार्च, 2018	लगभग 1100 आंगनबाड़ी भवन बनने से स्कूल पूर्व शिक्षा, वजन पोषण दिवस, आंगनबाड़ी लाभार्थियों को सुविधा प्राप्त होगी एवं भवन किराये की बचत होगी।	31 मार्च, 2018
0107-राज्य स्तरीय आई0सी0डी0एस0 प्रशिक्षण केन्द्र भवन निर्माण (90 प्रतिशत के0सहा0)	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी कार्यकर्ता, मुख्य सेविकाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।	0.00	0.01	टोकन मनी के रूप में धनराशि प्रस्तावित की जा रही है।	31 मार्च, 2018	टोकन मनी के रूप में धनराशि प्रस्तावित की जा रही है।	31 मार्च, 2018

योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले 2017-18		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम	समय सीमा
09-00- तीलू रौतेली पुरस्कार	निर्दिष्ट क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मान स्वरूप पुरस्कार दिया जाता है	3.00	0.00	उत्कृष्ट 13 महिलाओं/किशोरियों को पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जायेगा।	31 मार्च, 2018	लगभग 13 पुरस्कृत महिलाओं के उदाहरण से राज्य की अन्य महिलायें भी उत्कृष्ट कार्यों के प्रति प्रेरित होगी।	31 मार्च, 2018
11-00- अनुपूरक पोषाहार का अनुश्रवण	अनुपूरक पोषाहार के नियमित अनुश्रवण हेतु संविदा पर कार्मिक की व्यवस्था की जानी है।	10.00	0.00	पोषाहार कार्यक्रम के अनुश्रवण हेतु अधिष्ठान पर व्यय।	31 मार्च, 2018	वास्तविक लाभार्थियों को अनुपूरक पोषाहार की प्राप्ति होगी। एवं योजनान्तर्गत तैनात कार्मिकों के अधिष्ठान पर व्यय।	31 मार्च, 2018
12-00- इन्दिरा महिला समेकित विकास योजना	महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन तथा उनका कार्यबोझ कम करने हेतु योजना संचालित है।	130.00	0.00	<ul style="list-style-type: none"> 64 विकासखण्डों के 64 परियोजनाओं में, महिलाओं का कार्यबोझ कम करने हेतु विभिन्न अभिनव स्वीकृत। 1624 स्वयं सहायता समूह एवं 6000 महिला लाभार्थियों का लाभप्रद स्वरोजगार से जुड़ाव। दृष्टिकोण परिवर्तन एवं लिंगभेद संवेदीकरण। 	31 मार्च, 2018	<ul style="list-style-type: none"> महिलाओं का कार्यबोझ कम होगा। साथ ही उनका सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण होगा। रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। 	31 मार्च, 2018
14-00- पोषण मापक/स्तनपान योजना	राज्य में कुपोषण स्तर पर निगरानी रखने तथा स्तनपान को प्रोत्साहित करने हेतु शोध एवं प्रशिक्षण हेतु कार्य किया जाता है।	12.00	0.00	सम्पूर्ण स्तनपान के लिए माताओं को प्रोत्साहित करना।	31 मार्च, 2018	कुपोषण दर में कमी आयेगी तथा। जन्म के समय से 6 माह तक के बच्चों को पूर्ण स्तनपान होने से बच्चों का सर्वांगीण बौद्धिक विकास होगा।	31 मार्च, 2018
15-00- निदेशालय हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत स्टाफ	राज्य सरकार के द्वारा निदेशालय हेतु 28 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया है, जिनके व्यय वहन हेतु योजना संचालित है।	59.22	0.00	निदेशालय में 28 अतिरिक्त स्टाफ के अधिष्ठान पर व्यय।	31 मार्च, 2018	विभागीय योजनाओं का सुचारु रूप से संचालन/अनुश्रवण समयबद्ध सुनिश्चित होगा।	31 मार्च, 2018
0303- पुष्पाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत दिया जाने वाला पोषाहार, पोषाहार हेतु ईंधन, कच्चा माल आदि की व्यवस्था	आं0बा0 कार्यकर्तियों/ सहायिकाओं को राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त मानदेय प्रदान करने उद्देश्य से योजना संचालित है।	6400.00	0.00	आंगनबाड़ी कार्मिकों के अधिष्ठान पर राज्य द्वारा बढ़ाये गये मानदेय दिया जायेगा।	31 मार्च, 2018	मानदेय से 30251 आंगनबाड़ी कार्मिक प्रोत्साहित होकर आंगनबाड़ी कर्मी सर्वोच्च गुणवत्ता पूर्ण सेवाओं का प्रतिपादन करेंगे।	31 मार्च, 2018
103.10.00- राज्य महिला आयोग की स्थापना	महिला अधिकारों के संरक्षण हेतु वैधानिक संस्था गठित है जिसका व्यय आयोजनत्तर मद से किया जा रहा है।	111.99	0.00	महिला आयोग द्वारा दर्ज प्रकरणों का निस्तारण किया जायेगा एवं जनपदों में महिला अधिकार कैम्प आयोजित किये जायेंगे।	31 मार्च, 2018	महिला अधिकारों के प्रति राज्य में सकारात्मक वातावरण में वृद्धि होगी तथा महिलाओं को उनके मूलभूत अधिकारों की प्राप्ति होगी।	31 मार्च, 2018

योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले 2017-18		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम	समय सीमा
103-13-00 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न तथा बाल विवाह एवं धरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण	सरकारी/गैर सरकारी कार्यालयों में महिला कार्मिकों के साथ अभ्रदता, आपत्तिजनक व्यवहार को रोकना, किसी भी प्रकार से घरेलू हिंसा से पीडित महिला को मुक्ति दिलाना तथा बाल विवाह को रोकने हेतु योजना संचालित है।	50.00	0.00	जनपद/राज्य स्तरीय समिति, संरक्षण अधिकारी, सेवाप्रदाता, आश्रय गृह, चिकित्सा सुविधा केन्द्र आदि के माध्यम से अधिनियम का सफल क्रियान्वयन होगा।	31 मार्च, 2018	राज्य में घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण हेतु सकारात्मक वातावरण का निर्माण होगा तथा बाल विवाह रोकने हेतु जागरूकता प्राप्त होगी।	31 मार्च, 2018
103-18-00 कामकाजी महिला छात्रावासों पर स्टॉफ की व्यवस्था	कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास संचालन हेतु स्टॉफ की व्यवस्था आदि हेतु योजना का संचालन।	25.00	0.00	13 जनपदों में महिला छात्रावास का संचालन होगा।	31 मार्च, 2018	छात्रावासों के माध्यम से कार्यशील महिलाओं के लिए सुरक्षित आवासीय सुविधा उपलब्ध होने पर उनमें कार्यकुशलता/ क्षमता बढ़ेगी।	31 मार्च, 2018
103-26 राज्य महिला सशक्तिकरण परिषद की स्थापना	महिला सशक्तिकरण की योजनाओं के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करने हेतु।	38.06	0.00	13 जनपदों एवं 105 बाल विकास परियोजनाओं में महिला सशक्तिकरण की योजनाओं का अनुश्रवण होगा।	31 मार्च, 2018	13 जनपदों एवं 105 बाल विकास परियोजनाओं में महिला सशक्तिकरण की योजनाओं का अनुश्रवण होगा।	31 मार्च, 2018
103-27 किशोरी बालिकाओं हेतु सैनेटरी नैफ्कीन की व्यवस्था	किशोरी बालिकाओं को स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु योजना प्रारम्भ की गयी है।	300.00	0.00	टोकन मनी के रूप में धनराशि प्रस्तावित की जा रही है।	31 मार्च, 2018	टोकन मनी के रूप में धनराशि प्रस्तावित की जा रही है।	31 मार्च, 2018
103-29 नन्दा गौरा योजना	राज्य की बी0पी0एल0 परिवारों की बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य हेतु।	13500.00	0.00	नई योजना संचालित हुई है।	31 मार्च, 2018	नई योजना संचालित हुई है।	31 मार्च, 2018
103-30 पं० दीनदयाल सामाजिक सुरक्षा कोष	नई योजना संचालित हुई है।	50.00	0.00	नई योजना संचालित हुई है।	31 मार्च, 2018	नई योजना संचालित हुई है।	31 मार्च, 2018
4235-10-00-कार्यशील महिला छात्रावासों का निर्माण	कार्यशील महिला छात्रावासों का निर्माण।	0.00	200.00	जनपद देहरादून, हरिद्वार एवं उधमसिंह नगर में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण।	31 मार्च, 2018	प्रत्येक जनपद की लगभग 100 कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं सस्ती आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी। साथ कार्यकुशलता एवं क्षमता विकसित होगी।	31 मार्च, 2018
06- महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास भवनों का निर्माण	निदेशालय भवन के परिवर्धन हेतु।	0.00	18.38	निदेशालय भवन में आवश्यकतानुसार परिवर्धन/ रखरखाव किया जायेगा।	31 मार्च, 2018	निदेशालय के भवन का समुचित रखरखाव होने पर विभागीय कार्मिकों में स्वच्छ वातावरण की प्राप्ति होगी, जिससे कार्मिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी तथा किराये की धनराशि की बचत होगी।	31 मार्च, 2018
0602-बाल दिवस समारोह	अन्तर्राष्ट्रीय बाल दिवस समारोह का आयोजन एवं बाल अधिकारों की जागरूकता का प्रसार करना।	5.00	0.00	समस्त जनपदों एवं मुख्यालय स्तर पर 14 नवम्बर को अन्तर्राष्ट्रीय बाल दिवस हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे।	31 मार्च, 2018	राज्य में बाल अधिकारों के प्रति संवेदनशील वातावरण प्राप्त होगा।	31 मार्च, 2018

योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले 2017-18		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम	समय सीमा
0604- नन्दा देवी कन्या योजना "हमारी कन्या हमारा अभिमान"	कन्या भ्रूण हत्या रोकने तथा बालिका शिशु के प्रति भेदभाव कम करने हेतु।	0.01	0.00	टोकन मनी के रूप में धनराशि प्रस्तावित की जा रही है।	31 मार्च, 2018	टोकन मनी के रूप में धनराशि प्रस्तावित की जा रही है।	31 मार्च, 2018
0605- उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना	बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग स्थापित है।	45.42	0.00	उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग का संचालन।	31 मार्च, 2018	बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राज्य में सकारात्मक वातावरण तैयार होगा एवं गरीब समुदाय के बालक/बालिकाओं में पढ़ाई के प्रति जागरूकता आयेगी।	31 मार्च, 2018
21-00- आंगनबाड़ी कर्मियों हेतु कल्याण कोष की स्थापना	आंगनबाड़ी कर्मियों की मानदेय सेवा से मुक्त होने के समय उन्हें एकमुश्त आर्थिक अनुदान प्रदान किया जाना।	300.00	0.00	आंगनबाड़ी कर्मियों की मानदेय सेवा से मुक्त होने के समय उन्हें एकमुश्त आर्थिक अनुदान की प्राप्ति।	31 मार्च, 2018	प्रत्येक वर्ष लगभग 75-100 सेवानिवृत्त होने वाली आंगनबाड़ी कर्मियों में अपनी सेवाओं की सुरक्षा की भावना में वृद्धि के साथ ही दी जा रही सेवाओं की गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी होगी। साथ ही उनके सुरक्षित भविष्य को बढ़ावा मिलेगा।	31 मार्च, 2018
2300-निर्भया योजना	राज्य में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों एवं किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार या अपराध से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाने हेतु योजना का संचालन।	50.00	0.00	महिलाओं के प्रति किसी प्रकार भी प्रकार के दुर्व्यवहार/अपराध जैसे कि महिलाओं के प्रति बलात्कार, यौन दुर्व्यवहार, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न एवं घरेलू हिंसा का प्रकरण सामने आने पर उस पर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित होगी।	31 मार्च, 2018	महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार/अपराध जैसे मामले सामने आने पर उस पर त्वरित कार्यवाही से पीड़िता को लाभ मिलेगा। साथ योजनान्तर्गत तैनात कर्मियों को रोजगार मिलेगा।	31 मार्च, 2018
1600-मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान योजना	राज्य के कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चों को कुपोषण से मुक्ति हेतु संचालन।	200.00	0.00	बच्चों में कुपोषण की रोकथाम हेतु खिलती कलियां कार्यक्रम एवं राज्य में कुपोषण से मुक्ति हेतु अभियान के तहत अभिनव प्रयोग के तौर पर अतिकुपोषित बच्चों के लिए स्थानीय खाद्य पदार्थों पर आधारित सामग्री "ऊर्जा" (URJA)] RUTF (Ready to Use Therapeutic Food) के रूप में प्राप्त होगी।	31 मार्च, 2018	राज्य के लगभग 26835 कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चों को कुपोषण से मुक्ति मिलेगी।	31 मार्च, 2018
0600-मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण अभियान योजना	राज्य की वृद्ध महिलाओं के संबंध में सकारात्मक पारम्परिक पद्धतियों के द्वारा स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर को बढ़ावा देना।	750.00	0.00	राज्य की 370000 वृद्ध महिलाओं के संबंध में सकारात्मक पारम्परिक पद्धतियों के द्वारा स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर को बढ़ावा देना।	31 मार्च, 2018	राज्य की 60 वर्ष से अधिक 370000 वृद्ध महिलाओं के पोषण स्तर में वृद्धि होगी एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा मिलेगा।	31 मार्च, 2018

योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले 2017-18		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम	समय सीमा
2400-मुख्यमंत्री महिला सतत् आजीविका योजना	राज्य की विधवा, निराश्रित, निर्बल वर्ग की महिलाओं/किशोरियों के आजीविका एवं आर्थिक विकास होगा।	100.00	0.00	राज्य की विधवा, निराश्रित, निर्बल वर्ग की महिलाओं/किशोरियों के आर्थिक एवं व्यवसायिक कौशल में वृद्धि।	31 मार्च, 2018	राज्य की लगभग 3000 विधवा, निराश्रित, निर्बल वर्ग की महिलाओं/किशोरियों के आर्थिक एवं स्वरोजगार तथा सामाजिक स्तर में सुधार आयेगा।	31 मार्च, 2018
अनुदान संख्या 15 का योग		59044.75	2428.39				
अनुदान संख्या: 30							
अनुसूचित जातियों के लिए (SCSP)							
0202-समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर दिये जाने वाला पुष्पाहार (राज्य योजना)	अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों/वार्डों में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं को राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त मानदेय की योजना संचालित है।	900.00	0.00	1526 आंगनबाड़ी केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं एवं 473 मिनी केन्द्रों की कार्यकर्ती को राज्य सरकार के द्वारा देय मानदेय का भुगतान किया जायेगा।	31 मार्च, 2018	1526 आंगनबाड़ी केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं एवं 473 मिनी केन्द्रों की कार्यकर्ती मानदेय प्राप्त करेगी तथा प्रोत्साहित होकर आंगनबाड़ी कर्मी सर्वोच्च गुणवत्ता पूर्ण सेवाओं का प्रतिपादन करेगे।	31 मार्च, 2018
0101- समन्वित बाल विकास योजना (90 प्रतिशत के0सहा0)	अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों/वार्डों में आंगनबाड़ी कर्मियों को केन्द्र सहायित मानदेय, प्लैक्सी फण्ड, कन्टेनेन्सी की व्यवस्था की जाती है।	4543.00	0.00	1526 आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा 473 मिनी केन्द्रों में कार्यरत कार्यकर्ताओं को मानदेय भुगतान तथा केन्द्रों के संचालन हेतु कन्टीनेन्सी की व्यवस्था की जायेगी।	31 मार्च, 2018	1526 आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा 473 मिनी केन्द्रों में कार्यरत कार्यकर्ताओं को मानदेय भुगतान तथा केन्द्रों के संचालन हेतु कन्टीनेन्सी की व्यवस्था की जायेगी।	31 मार्च, 2018
4235-0101- आंगनबाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण/अनुरक्षण (90 प्रतिशत के0सहा0)	आंगनबाड़ी केन्द्र संचालन में सुविधा होगी एवं भवन किराये की बचत होगी।	0.00	0.02	300 आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण तथा 200 आंगनबाड़ी भवनों का अनुरक्षण किया जायेगा।	31 मार्च, 2018	लगभग 300 आंगनबाड़ी भवन बनने से स्कूल पूर्व शिक्षा, वजन पोषण दिवस, आंगनबाड़ी लाभार्थियों को सुविधा प्राप्त होगी एवं भवन किराये की बचत होगी।	31 मार्च, 2018
अनुदान संख्या 30 का योग		5443.00	0.02				

योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले 2017-18		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम	समय सीमा
अनुदान संख्या: 31							
जनजातिय क्षेत्र उपयोजना							
796-04-00- समन्वित बाल विकास योजनाएं जनजातीय क्षेत्र (राज्य योजना)	अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों/वार्डों में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं को राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त मानदेय की योजना संचालित है।	280.00	0.00	683 आंगनबाड़ी/मिनी केन्द्रों की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों/ सहायिकाओं को राज्य सरकार के द्वारा देय मानदेय के भुगतान किया जायेगा।	31 मार्च, 2018	मानदेय से 683 आंगनबाड़ी कार्मिक प्रोत्साहित होकर आंगनबाड़ी कर्मी सर्वोच्च गुणवत्ता पूर्ण सेवाओं का प्रतिपादन करेगे।	31 मार्च, 2018
796-01-02 समन्वित बाल विकास योजनायें- जनजातीय क्षेत्र (90 प्रतिशत के0सहा0)	अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों/वार्डों में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं को राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त मानदेय की योजना संचालित है।	1439.30	0.00	02 बाल विकास परियोजना का संचालन तथा उसके अन्तर्गत स्थापित 683 आंगनबाड़ी/मिनी केन्द्रों का संचालन किया जाएगा।	31 मार्च, 2018	आई0सी0डी0एस0 योजना में बाल विकास परियोजना एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा मिनी केन्द्रों के संचालन के द्वारा जनजाति क्षेत्र की 0.47 लाख महिलाएं एवं बच्चे लाभान्वित होगी।	31 मार्च, 2018
4235-796-01 आंगनबाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण (90 प्रतिशत के0सहा0)	आंगनबाड़ी केन्द्र संचालन में सुविधा होगी एवं भवन किराये की बचत होगी।	0.00	0.02	100 आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण तथा 100 आंगनबाड़ी भवनों का अनुरक्षण किया जायेगा।	31 मार्च, 2018	लगभग 100 आंगनबाड़ी भवन बनने से स्कूल पूर्व शिक्षा, वजन पोषण दिवस, आंगनबाड़ी लाभार्थियों को सुविधा प्राप्त होगी एवं भवन किराये की बचत होगी।	31 मार्च, 2018
अनुदान संख्या 31 का योग		1719.30	0.02				
महायोग अनुदान संख्या 15,30 एवं 31		66207.05	2428.43				